पत्रांक : 11/नि1–09/2008...862/

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक:

आर०बी० चौधरी,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना, दिनांक ...4... जून, 2013

विषय : उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का पालन एवं बैकलॉग की गणना एवं नियोजन के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग : विभागीय अधिसूचना संख्या–824, दिनांक 29–05–2013

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से नियोजन के क्रम में प्रथम एवं द्वितीय नियोजन के आरक्षण के बैकलॉग को लेते हुए नियोजन का निदेश दिया गया है। दिनांक 29.05.13 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की बैठक में आरक्षण बैकलॉग की गणना के संबंध में एवं अन्य बिन्दुओं पर उठायी गयी बैकलॉग एवं आरक्षण बिन्दु निर्धारण के संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जा रहे हैं:–

1. **आवंटित इकाई :–** (i) विभागीय पत्रांक 825 दिनांक 29.05.13 द्वारा जिले में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयवार इकाई का आवंटन किया गया है। आवंटित इकाई से उन्हीं विद्यालयों में इकाई आवंटित की जायेगी जिस विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत +2 का अध्यापन प्रारंभ कर दी गयी है, लेकिन इकाई आवंटित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त वैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें +2 का अध्यापन वर्त्तमान शैक्षिक सत्र से प्रारंभ करने की योजना है।

   आवश्यक आवंटित इकाई के विरूद्ध चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विषयवार इकाई का ही आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई की जायेगी।

   (ii) जीव विज्ञान के अंतर्गत आवंटित इकाई को Botany and Zoology में विभक्त कर नियोजन की प्रक्रिया एवं आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई की जायेगी।

2. **आरक्षण बिन्दु :–** (i) अधिसूचित नियुक्ति नियमावली, 2012 (1324, दिनांक 03–07–2012 एवं 1325, दिनांक 03–07–2012) के नियम 5(i)(क) के आलोक में जिलावार आरक्षण रोस्टर किया जायेगा। अर्थात् प्रत्येक नियोजन इकाई में विषयवार आरक्षण बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

   (ii) विभागीय पत्रांक 825 दिनांक 29.05.13 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में बैकलॉग प्रक्रिया के तहत प्रथम एवं द्वितीय नियोजन के क्रम में आवंटित इकाई के तहत विद्यालयवार नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक के कार्यरत बल के विरूद्ध शिक्षकों के सेवा निवृत्ति एवं अन्य कारणों से रिक्त अवशेष विषयवार रिक्ति जिस नियोजन इकाई की है, उसी नियोजन इकाई की वर्त्तमान विषयवार रिक्ति में पूर्व की विषयवार रिक्ति को जोड़ दी जायेगी।

3. <u>माध्यमिक विद्यालयों में निःशक्त अभ्यर्थियों का नियोजन</u> :– विभागीय पत्रांक–824, दिनांक 29–05–2013 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों के संबंध में आवश्यक निदेश दिये गये हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–502, दिनांक 02–11–2000 (संलग्न) के आलोक में सूचित करना है कि जिस समव्यवहार में रोस्टर बिन्दू 17, 50 अथवा 84 हो, उस समव्यवहार में विकलांग का नियोजन किया जाय।

विभागीय पत्रांक–824, दिनांक 29–05–2013 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में दिये गये निदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त किये जायेगें।

विश्वासभाजन,

3.6.13

(आर०बी० चौधरी)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक : 11/नि1–09/2008....862.../ पटना, दिनांक ...4.... जून, 2013

<u>प्रतिलिपिः</u> सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.6.13

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

अनुसूची–।

नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु

आवेदन–प्रपत्र

नगर उच्च माध्यमिक शिक्षक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐
(जो लागू हो, उसे (√) करें)

1. नियोजन के नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत का नाम :–
2. नियोजन का विषय :–
3. अभ्यर्थी का नाम :–
4. (क) पिता का नाम :–

   (ख) माता का नाम :–

पासपोर्ट साइज का स्वअभिप्रमाणित फोटो

5. लिंग :– पुरूष ☐ महिला ☐
6. जन्म तिथि :– 7. 1ली अगस्त, 2012 को आयु:– वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐
8. स्थायी पता :– ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर ....
   ....
   ....
   थाना :.................... जिला :.................... पिन कोड़ :....................
9. पत्राचार का पता ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर ....
   ....
   ....
   ....
   थाना :.................... जिला :.................... पिन कोड़ :....................
10. कोटि :– सामान्य ☐ आरक्षित ☐
11. आरक्षण की कोटि :– अ०ज० ☐ अ०ज०जा० ☐ अ०पि०व० ☐ पि०व० ☐ पि०व०(महिला) ☐
12. विकलांगता का प्रकार (यदि विकलांग हो तो) :– दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐
13. विकलांगता का प्रतिशत :– ☐

(40% से कम विकलांगता वाले इस कोटि में आवेदन नहीं करेंगे।)

14. योग्यता :–

शैक्षणिक	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/परिषद् या विश्व० का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक
1	2	3	4	5	6	7
माध्यमिक						
उच्चत्तर माध्यमिक/ इंटरमीडिएट						
स्नातक/स्नातक प्रतिष्ठा						
स्नातकोत्तर						
प्रशैक्षणिक योग्यता						
(i) बी एड०						

भाग–'ख'

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

		मेधा अंक
(i)	प्रतिशत अंकों के कुल योग ÷ 5 (प्रशिक्षित के लिए)	
(ii)	शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) में प्राप्त कुल अंक	
(iii)	शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) में प्राप्त प्रतिशत अंक नियमावली के अनुसार वेटेज अंक	
(iv)	कुल मेधा अंक	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान ....

तिथि ....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

अनुसूची–I

जिला परिषद् उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु

आवेदन–प्रपत्र

जिला परिषद् उच्च माध्यमिक शिक्षक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐
(जो लागू हो, उसे (√) करें)

1. नियोजन के जिला परिषद् का नाम :–
2. नियोजन का विषय :–
3. अभ्यर्थी का नाम :–
4. (क) पिता का नाम :–

   (ख) माता का नाम :–

पासपोर्ट साइज का स्वअभिप्रमाणित फोटो

5. लिंग :– पुरूष ☐ महिला ☐
6. जन्म तिथि :–

7. 1ली अगस्त, 2012 को आयुः– वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐

8. स्थायी पता :– ग्राम / मोहल्ला / सड़क / शहर ....

....

....

थाना :.................... जिला :.................... पिन कोड़ :....................

9. पत्राचार का पता ग्राम / मोहल्ला / सड़क / शहर ....

....

....

....

थाना :.................... जिला :.................... पिन कोड़ :....................

10. कोटि :– सामान्य ☐ आरक्षित ☐
11. आरक्षण की कोटि :– अ०ज० ☐ अ०ज०जा० ☐ अ०पि०व० ☐ पि०व० ☐ पि०व०(महिला) ☐
12. विकलांगता का प्रकार (यदि विकलांग हो तो) :– दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐
13. विकलांगता का प्रतिशत :– ☐

(40% से कम विकलांगता वाले इस कोटि में आवेदन नहीं करेंगे।)

14. योग्यता :–

शैक्षणिक	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	बोर्ड / परिषद् या विश्व० का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक
1	2	3	4	5	6	7
माध्यमिक						
उच्चत्तर माध्यमिक / इंटरमीडिएट						
स्नातक / स्नातक प्रतिष्ठा						
स्नातकोत्तर						
प्रशैक्षणिक योग्यता						
(i) बी एड०						

भाग–'ख'

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

		मेधा अंक
(i)	प्रतिशत अंकों के कुल योग ÷ 5 (प्रशिक्षित के लिए)	
(ii)	शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) में प्राप्त कुल अंक	
(iii)	शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) में प्राप्त प्रतिशत अंक नियमावली के अनुसार वेटेज अंक	
(iv)	कुल मेधा अंक	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान ....

तिथि ....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

पत्रांक : 11/नि2–13/91 (खण्ड) अंश III .... /

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक:

आर०बी० चौधरी,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 2013

विषय : राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु इकाई वितरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई विभागीय अधिसूचना संख्या–924, दिनांक 29.5.13 के आलोक में प्रारम्भ किया जा रहा है। आप अवगत हैं कि वर्ष 1988–89 में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम चरण में लगभग 500 एवं द्वितीय चरण में **अनुलग्नक–1** के अनुसार नियोजन हेतु आवश्यक इकाई आवंटित की गयी थी।

राज्य के राजकीय/रांजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत जिला को आवंटित इकाई के विरूद्ध विद्यालवार नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक के कार्यरत बल के विरूद्ध शिक्षकों के सेवा निवृत्ति एवं अन्य कारणों से रिक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा के अनुरूप आरक्षण समाशोधन के उपरान्त नियोजन की कार्रवाई की जायेगी। जिलावार/विद्यालयवार आवंटित इकाई के विरूद्ध शेष रिक्ति के सत्यापनोपरान्त निदेशालय से प्राप्त अनुदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत जिला को आवंटित इकाई के विरूद्ध विद्यालवार स्वीकृत इकाई के अन्तर्गत कार्यरत नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं उपलब्ध रिक्ति की गणना कर निम्न प्रपत्र में निदेशालय को प्रतिवेदित की जाय।

प्रपत्र – "क"

जिलावार उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्ति हेतु विहित प्रपत्र

क्र०	जिला का नाम	प्रथम चरण में आवंटित इकाई	कार्यरत बल	रिक्ति	द्वितीय चरण में आवंटित इकाई	कार्यरत बल	रिक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आयोजित विषयान्तर्गत (41875 इकाई) जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षा का अध्यापन प्रारंभ करने हेतु जिलावार/विषयवार (**<u>अनुलग्नक–2</u>**) इकाई आवंटित की जाती है।

जिले में पूर्व से वैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें +2 शिक्षा का अध्यापन प्रारंभ है तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए इकाई आवंटित नहीं है एवं वर्त्तमान में जिन विद्यालयों में शैक्षिक सत्र प्रारंभ की गयी है, उन विद्यालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के लिए दो–दो सेक्सन अर्थात् प्रति सेक्सन 60 विद्यार्थियों की उपलब्धता के आधार पर संकायवार/विषयवार आवश्यक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गणना की जायेगी। वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत जीव विज्ञान के लिए छात्रों की उपलब्धता के आधारपर प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला स्तर के विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा।

आप विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व नियोजन इकाईवार, विषयवार रिक्त पदों का प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में अनिवार्य रूप से श्री अजीत कुमार, उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में वितरित इकाई **(प्रपत्र– "ख")**

<table>
<tr><td rowspan="4">जिला का नाम</td><td rowspan="4">+2 अध्यापन से अच्छादित वि० की सं०</td><td colspan="4">विज्ञान (1)</td><td colspan="9">कला (2)</td><td colspan="2">वाणिज्य (3)</td></tr>
<tr><td>Bio</td><td>Che</td><td>Math</td><td>Phy</td><td>ECO</td><td>GEO</td><td>HIS</td><td>HSC</td><td>PHL</td><td>POL</td><td>PSY</td><td>CSC</td><td>SOC</td><td>ACY</td><td>EPS</td></tr>
<tr><td colspan="13">भाषा एवं अन्य (4)</td></tr>
<tr><td>ARB</td><td>BAN</td><td>BHO</td><td>ENG</td><td>HIN</td><td>MAI</td><td>NRB</td><td>PAL</td><td>PER</td><td>SNK</td><td>URD</td><td></td></tr>
</table>

तृतीय चरण के अन्तर्गत वितरित इकाई **(प्रपत्र– "ग")**

<table>
<tr><td rowspan="4">जिला का नाम</td><td rowspan="4">+2 अध्यापन से अच्छादित वि० की सं०</td><td colspan="4">विज्ञान (1)</td><td colspan="9">कला (2)</td><td colspan="2">वाणिज्य (3)</td></tr>
<tr><td>Bio</td><td>Che</td><td>Math</td><td>Phy</td><td>ECO</td><td>GEO</td><td>HIS</td><td>HSC</td><td>PHL</td><td>POL</td><td>PSY</td><td>CSC</td><td>SOC</td><td>ACY</td><td>EPS</td></tr>
<tr><td colspan="13">भाषा एवं अन्य (4)</td></tr>
<tr><td>ARB</td><td>BAN</td><td>BHO</td><td>ENG</td><td>HIN</td><td>MAI</td><td>NRB</td><td>PAL</td><td>PER</td><td>SNK</td><td>URD</td><td></td></tr>
</table>

विश्वासभाजन,

<u>अनुलग्नक :– यथावर्णित।</u>

(आर०बी० चौधरी)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक : 11/नि2–13/91 (खण्ड) अंश III 825/ पटना, दिनांक 29/5/2013

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम/सभी अध्यक्ष जिला परिषद्/नगर पंचायत/नगर परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/सभी नगर आयुक्त नगर निगम/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/5/13

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु जिलावार/विषयवार इकाई का आवंटन

क्र०	जिला का नाम	विज्ञान				कला									वाणिज्य		भाषा एवं अन्य											कुल
		Bio	Che	Math	Phy	ECO	GEO	HIS	HSC	PHL	POL	PSY	CSC	SOC	ACY	EPS	ARB	BAN	BHO	ENG	HIN	MAI	NRB	PAL	PER	SNK	URD	
1	पटना	78	282	228	262	33	25	154	47	15	131	91	5	118	58	19	1	0	0	239	254	0	516	1	0	1	19	2559
2	नालंदा	113	204	185	205	15	40	61	34	10	47	37	1	48	3	1	0	0	0	169	114	0	295	2	0	1	9	1590
3	भोजपुर	14	96	90	96	21	21	129	43	3	90	99	0	62	41	40	0	0	0	149	101	0	285	0	0	2	9	1390
4	बक्सर	10	49	44	49	18	17	74	20	6	58	64	0	38	7	7	0	0	0	59	79	0	142	0	0	1	3	744
5	रोहतास	23	127	121	127	53	43	178	88	12	130	121	2	130	24	24	0	0	0	144	196	0	361	1	0	2	12	1897
6	कैमूर	8	35	32	35	20	50	53	32	3	37	38	1	47	11	11	0	0	0	41	80	0	128	0	0	1	6	689
7	गया	85	219	187	220	32	92	149	50	9	108	111	5	105	29	29	0	0	0	214	199	0	444	2	0	2	28	2337
8	जहानाबाद	24	64	59	64	7	12	38	16	2	28	35	0	30	2	2	0	0	0	59	51	0	117	3	0	0	3	617
9	अरवल	19	70	64	70	10	13	57	12	2	48	31	0	43	5	3	0	0	0	72	65	0	143	0	0	1	5	732
10	नवादा	75	146	133	146	25	51	84	37	10	87	35	1	62	14	13	0	0	0	163	94	0	271	1	0	1	11	1441
11	औरंगाबाद	40	102	95	102	37	53	112	49	6	77	93	1	58	6	5	0	0	0	106	127	0	245	0	0	1	11	1325
12	मुजफ्फरपुर	25	90	80	90	20	35	98	75	5	55	128	1	64	56	54	0	0	0	131	155	0	306	0	0	1	17	1488
13	सीतामढ़ी	10	43	39	43	11	24	59	6	2	31	82	0	32	23	23	0	0	0	71	88	1	167	0	0	0	6	761
14	शिवहर	2	8	6	6	1	9	11	9	1	6	15	0	11	3	3	0	0	0	7	17	0	25	0	0	0	1	138
15	वैशाली	101	208	168	208	23	51	93	74	15	68	104	1	51	27	25	0	0	0	227	151	0	393	0	0	4	10	2002
16	पूर्वी चम्पारण	26	97	85	97	23	34	125	81	5	71	148	1	45	31	30	0	0	1	138	153	0	306	0	1	1	11	1510
17	पश्चिम चम्पारण	6	40	37	40	8	28	88	31	2	46	52	1	37	20	17	0	0	0	64	87	0	180	0	0	1	7	770
18	सारण	118	288	258	287	44	60	165	84	8	105	133	1	54	46	43	0	0	3	380	164	0	540	0	0	3	11	2784
19	सिवान	60	139	112	140	14	29	69	61	2	41	72	1	18	13	8	0	0	0	138	108	0	258	0	0	0	13	1292
20	गोपालगंज	37	83	88	83	27	30	68	42	2	55	49	1	24	5	7	0	0	1	87	85	0	188	0	0	1	12	954
21	दरभंगा	14	59	54	60	7	16	58	46	3	48	88	0	73	61	58	0	0	0	137	53	22	228	0	0	0	14	1079
22	मधुबनी	14	54	48	55	7	45	75	76	2	54	125	1	68	75	59	0	0	0	143	72	66	280	0	0	1	7	1337

3 P

क्र०	जिला का नाम	विज्ञान				कला									वाणिज्य		भाषा एवं अन्य												कुल
		Bio	Che	Math	Phy	ECD	GEO	HIS	HSC	PHL	POL	PSY	CSC	SOC	ACY	EPS	ARB	BAN	BHO	ENG	HIN	MAI	NRB	PAL	PER	SNK	URD	
23	समस्तीपुर	78	166	142	166	17	74	86	96	6	57	131	3	64	24	20	0	0	0	181	172	7	375	0	0	2	13	1879
24	सहरसा	16	44	38	44	3	15	23	21	2	19	16	0	24	5	4	0	0	0	46	46	3	89	0	0	0	4	473
25	सुपौल	8	26	22	26	4	18	28	21	2	17	30	0	13	3	2	0	0	0	32	44	5	83	0	0	0	2	365
26	मधेपुरा	81	144	128	144	6	72	54	83	2	21	127	2	57	6	5	0	7	0	140	164	7	319	0	0	1	4	1568
27	पूर्णियाँ	10	35	30	35	7	35	39	36	2	26	44	1	39	13	6	0	0	0	42	73	1	130	0	0	1	12	616
28	अररिया	10	28	24	28	2	46	26	34	3	18	57	0	34	9	8	0	0	0	35	72	1	118	0	0	0	9	563
29	किशनगंज	4	11	8	11	8	15	38	18	2	31	7	0	15	5	4	0	5	0	18	19	0	62	0	0	0	20	299
30	कटिहार	9	35	30	35	6	22	56	28	2	31	44	0	35	21	9	0	5	0	53	65	0	136	0	0	0	12	633
31	भागलपुर	27	103	86	104	24	17	74	22	13	58	31	2	49	24	8	0	0	0	131	81	0	224	0	0	1	10	1089
32	बाँका	35	95	82	95	11	41	66	35	3	55	32	2	57	11	8	0	0	0	108	94	0	204	0	0	1	3	1036
33	मुंगेर	50	107	97	107	9	11	56	23	5	44	12	0	23	4	1	0	0	0	98	67	0	171	0	0	0	4	890
34	शेखपुरा	26	48	44	48	8	10	20	6	6	16	7	1	11	2	2	0	0	0	43	31	0	76	0	0	0	2	405
35	लखीसराय	19	46	39	46	3	4	25	7	2	20	10	0	11	1	1	0	0	0	44	30	0	75	0	0	0	1	385
36	जमुई	26	64	59	64	20	20	64	25	10	53	16	0	19	11	10	0	0	0	88	74	0	147	0	0	0	5	755
37	खगड़िया	7	16	12	16	6	4	21	9	4	15	8	0	6	3	3	0	0	0	20	24	0	46	0	0	0	1	221
38	बेगूसराय	52	114	101	114	12	44	79	61	4	38	86	3	37	19	12	0	0	0	127	109	2	251	0	0	3	11	1279
Total		1369	3561	3146	3568	600	1225	2737	1516	193	1917	2381	40	1708	724	584	1	12	5	4101	3656	114	8316	11	1	37	338	41871

नोट : (1) उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित उक्त जिलावार/विषयवार आवंटित इकाई शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2011 में सम्मिलित विषय अन्तर्गत है।

(2) जीव विज्ञान (BIO) विषय अन्तर्गत जन्तु विज्ञान (Zoology) एवं वनस्पति विज्ञान (Botany) सम्मिलित है।

(3) कुल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 10492

60

बिहार सकार
शिक्षा विभाग

संख्या : 11/नि 2–13/91 (खण्ड) अंश–III--------/ पटना, दिनांक : ...., 2013

बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक (शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2006 तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2006 की कंडिका 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के निर्णयानुसार शिक्षक नियमावली, 2012 के क्रम में शिक्षक नियोजन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेशों, निदेशों एवं परिपत्रों को निम्न हद तक संशोधित करते हुए "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2012" तथा "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2012" के आलोक में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2013–14 में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया के संबंध में निम्नांकित मार्ग–निदेश दिये जाते हैं :–

मार्ग–निदेश

1. **नियोजन हेतु समय तालिका** :– राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालयों में उच्च माध्यमिक (+2) शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी:–

(i)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पटना, भागलपुर एवं मगध प्रमण्डल कोशी, तिरहुत एवं दरभंगा प्रमण्डल मुंगेर, पूर्णियाँ एवं सारण प्रमण्डल	 13–05–2013 14–05–2013 15–05–2013
(ii)	जिला स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयवार आवश्यकतानुसार विषय का निर्धारण	17–05–2013 से 25–05–2013 तक
(iii)	• जिला स्तर से चिह्नित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इकाई का वितरण • जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर विषयवार रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों का प्रेषण।	30–05–2013 से 09–06–2013 तक
(iv)	सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन।	10–06–2013
(v)	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि।	11–06–2013 से 10–07–2013 तक
(vi)	मेधा सूची की तैयारी।	12–07–2013 से 19–07–2013 तक

(vii)	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	20–07–2013 तक
(viii)	मेधा सूची का प्रकाशन	22–07–2013
(ix)	मेधा सूची पर आपत्ति	22–07–2013 से 08–08–2013 तक
(x)	आपत्तियों का निराकरण	10–08–2013 तक
(xi)	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	12–08–2013
(xii)	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान/जाँच	13/14 एवं 16–08–2013
(xiii)	जिला परिषद् एवं शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	19–08–2013 तक
(xiv)	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण –	20–08–2013 तक
(xv)	नियोजन इकाई द्वारा काउसिंलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना – नगर निगम नगर परिषद् नगर पंचायत जिला परिषद्	 22–08–13 23–08–13 एवं 24–08–13 26–08–13 एवं 27–08–13 30–08–13

2. **<u>शिक्षकों के पदों का विवरण</u>** :– राज्य स्तर द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उच्च माध्यमिक शिक्षक के ईकाई का वितरण निम्नवत् किया जायेगा।

<u>उच्च माध्यमिक शिक्षक</u> :– (क) राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत जिला को आवंटित इकाई के विरूद्ध विद्यालवार नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक के कार्यरत बल के विरूद्ध शिक्षकों के सेवा निवृत्ति एवं अन्य कारणों से रिक्त पदों पर आरक्षण समाशोधन के उपरान्त नियोजन की कार्रवाई की जायेगी। जिलावार/विद्यालयवार आवंटित इकाई के विरूद्ध शेष रिक्ति के सत्यापनोपरान्त निदेशालय से प्राप्त अनुदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

(ख) राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत जिला को आवंटित इकाई के विरूद्ध विद्यालवार स्वीकृत इकाई के अन्तर्गत कार्यरत नियोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं उपलब्ध रिक्ति की गणना कर निदेशालय को प्रतिवेदित की जाय।

(ग) जिले में पूर्व से वैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें +2 शिक्षा का अध्यापन प्रारंभ है तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए इकाई आवंटित नहीं है एवं वर्त्तमान में जिन विद्यालयों में शैक्षिक सत्र प्रारंभ की गयी है, उन विद्यालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के लिए दो–दो सेक्सन अर्थात् प्रति सेक्सन 60 विद्यार्थियों की उपलब्धता के आधार पर संकायवार/विषयवार आवश्यक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की गणना की जायेगी। वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय के

अंतर्गत जीव विज्ञान के लिए छात्रों की उपलब्धता के आधारपर प्रखण्ड, अनुमण्डल एवं जिला स्तर के विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा।

(घ) बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के आलोक में निर्दिष्ट विषयों के अन्तर्गत विज्ञान संकाय में Phy., Che, Bot., Zoo., Math., कला संकाय में His., Pol., Geo., Eco., Soc., Psy., Phil., Hsc., Computer Sc., वाणिज्य संकाय में Accountancy., Entrepren., एवं भाषा एवं अन्य विषय में Hindi., Urdu., Eng., Sansk., उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन किया जायेगा।

(ङ) Bangali., Maithili., Magahi., Arabic., Parsian., Bhojpuri., Pali., Prakit., Music., Urdu or Sanskrit में शिक्षक इकाई के वितरण के लिए यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि चिन्हित विद्यालयों में संबंधित विषय में न्यूनतम 40 छात्रों की उपलब्धता हो। ऐसे विषयों के लिए जिला अनुमण्डल/प्रखण्ड मुख्यालय स्तर के विद्यालय को चिन्हित करना श्रेष्यकर होगा। साथ ही मैथिली, बंगला एवं उर्दू विषय के लिए संबंधित समुदाय बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय को चिन्हित किया जाय।

(च) संशोधित नियमावली, 2012 के आलोक में जिलों में चिन्हित आदर्श विद्यालयों में भी उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन किया जायेगा।

(छ) मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तत्संबंधी विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा रिक्त पदों के विरूद्ध बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के आलोक में विभाग से दिये गये निदेश के आलोक में नियोजन किया जायेगा।

3. <u>**शिक्षक नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन**</u> :– प्रत्येक नियोजन ईकाई के द्वारा निर्धारित तिथि को उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन निश्चित रूप से किया जायेगा। प्रकाशित सूचना में नियोजित किये जानेवाले उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों की कोटि एवं विषयवार रिक्ति की संख्या का उल्लेख रहेगा। नियोजन इकाई द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित जिला परिषद् / निकायों द्वारा निर्धारित तिथि को सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। नियोजन इकाई द्वारा प्रकाशित सूचना की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय में नीरज कुमार बनाम् राज्य सरकार में दायर रिट याचिका CWJC No. 2616/12 में प्रतिशपथ पत्र में दिये गये वचनबद्धता के आलोक में माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यता के अन्तर्गत प्रशिक्षण की अहर्त्ता में छूट संबंधी अनुमति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्ति के उपरान्त ही अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का मेधा–सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

4. <u>**आवेदन पत्र**</u> :– शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में संबंधित विषय में उत्तीर्ण उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र (<u>**अनुसूची–1**</u>) में आवेदन–पत्र, अंक पत्रों एवं अन्य कागजातों के

स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ संबंधित नियोजन ईकाई के सदस्य–सचिव को निबंधित डाक/स्पीड–पोस्ट या हाथों–हाथ ही निर्धारित तिथि तक समर्पित किया जायेगा।

नियुक्ति नियमावली 2006 समय समय पर यथासंशोधित में निर्दिष्ट अर्हत्ता के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर पठित विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता की स्थिति में ही आवेदन दिया जायेगा। जिला स्तर पर नियोजन ईकाइयों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों का जिला परिषद्वार/निकायवार/विद्यालयवार / विषयवार आरक्षण बिन्दुओं के सहित रिक्त पदों का प्रकाशन अभ्यर्थियों के सुविधा एवं पारदर्शिता के लिए समेकित रूप से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग / जिला सूचना एवं जनसर्म्पक कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही जिला स्तर पर NIC के बेवसाइट पर इसे अपलोड भी किया जाना अनिवार्य है।

5. **<u>आवेदन पत्रों का पंजी में संधारण</u>** :– प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षक नियोजन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की तिथिवार प्रविष्टि तथा मेधा सूची, नियोजन हेतु काउंसिलिंग आदि का ब्यौरा पंजी में संधारित किया जायेगा। पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर सदस्य सचिव तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवेदन पत्रों की प्रविष्टि के उपरान्त पंजी को बन्द (Close) कर दिया जायेगा एवं संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव तथा सदस्य के द्वारा उसे अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित कर दिया जायेगा। नियोजन निकायों में प्राप्त आवेदन पत्रों का संधारण, मेधा सूची का निर्माण आदि कम्पयूटर में भी किया जा सकेगा।

6. **<u>प्रथम नियोजन में नियोजित शिक्षकों द्वारा आवेदन</u>** :– उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रथम नियोजन के दौरान राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के द्वारा दूसरे नियोजन इकाईयों में नियोजन हेतु उचित स्त्रोत (नियोजन प्राधिकार के अग्रसारण से) से आवेदन दिया जा सकेगा। किन्तु ऐसे आवेदकों का किसी नियोजन इकाई में किया गया नियोजन प्रथम नियोजन माना जायेगा और उनकी पूर्व की सेवा अवधि के आधार पर उन्हें कोई लाभ नये नियोजन इकाई में अनुमान्य नहीं होगा। नवनियुक्त शिक्षक द्वारा उचित माध्यम से आवेदन नहीं करने पर भविष्य में इस प्रकार का तथ्य प्रकाश में आने पर नियुक्ति को अवैध माना जायेगा।

7. **<u>आरक्षण रोस्टर का पालन</u>** :– उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन हेतु उपलब्ध कराये गये पदों का जिला स्तर पर विषयवार आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा, अर्थात् जिला स्तर पर विषयवार समूहीकरण कर जनसंख्या के घटते क्रम में क्रमशः जिला परिषद्, नगर निगम एवं नगर परिषद्, नगर पंचायत में आरक्षण बिन्दु का वितरण किया जायेगा। विद्यालयों के लिए शिक्षक नियोजन में विकलांग उम्मीदवारों का 3 प्रतिशत समानान्तर आरक्षण का लाभ रोस्टर बिन्दु 1, 34 एवं 67 पर देय होगा। इस 3 प्रतिशत में से दृष्टिवाधित उम्मीदवार के लिए 1 प्रतिशत श्रवण वाधित उम्मीदवार के लिए 1 प्रतिशत तथा अस्थिजन्य निःशक्त उम्मीदवारों को 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना है। विकलांग उम्मीदवार नहीं मिलने पर यह पद 2 वर्षों तक अग्रणित किया जायेगा। तत्पश्चात नियमानुसार अनारक्षित करने की कार्रवाई की जायेगी।

8. **उच्च माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विषय/डिग्री के निर्धारण के संबंध में :–** पूर्व में निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं आदेशों के माध्यम से डिग्री की मान्यताओं को स्पष्ट किया जा चुका है।

(i) अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2006 समय–समय पर यथासंशोधित के प्रावधान के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु निर्धारित योग्यता न्यूनतम 50 (आरक्षित कोटि के लिए 45%) अंकों के साथ स्नातक डिग्री हो। नियमावली 2006 के कंडिका 6 (v) के अनुसार अधिभार अंक की गणना के लिए स्नातक योग्यता के लिए पठित सभी विषयों (अतिरिक्त अथवा ऐच्छिक विषयों को छोड़कर) के प्राप्तांक के प्रतिशत की गणना की जानी चाहिए। अगर किसी अभ्यर्थी ने स्नातक के साथ प्रतिष्ठा की उपाधि प्राप्त किया है तो पठित सहायक विषयों और प्रतिष्ठा/समकक्ष अहर्त्ता के विषय के प्राप्तांकों को जोड़कर निकाला गया प्रतिशत उनके योग्यता का अधिभार अंक होगा।

प्रतिष्ठा/समकक्ष सहित स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के सभी स्तरों के अधिभार अंकों का औसत निकालने के बाद 5 अतिरिक्त अंक दिये जाने के बाद कुल अंक उनका मेधा अंक होगा। बिना प्रतिष्ठा/समकक्ष के स्नातक अभ्यर्थियों को यह अतिरिक्त अंक नहीं दिया जायेगा।

(ii) इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर पठित विषय में ही उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन दिया जायेगा ।

(iii) नियोजन ईकायों के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए उपुर्यक्त क्रमांक 02 के कंडिका (घ) एवं (ड़) में अंकित निर्दिष्ट विषयों के अन्तर्गत निम्न विषय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

- Phy.:- Physics / Electronics / Applied Physics Nuclear Physics.
- Che.:- Chemistry / Bio Chemistry.
- Eco.:- Economics / Applied Economics / Business Economics.
- Com.:- Commerce with Accounting / Cost Accounting., Financial Accounting as a major subject M.Com in applied.
- Biology (Botany & Zoology) – Botany / Zoology, Life Science, Bio Science, Genetics Micro Biology, Bio-Technology, Plant Physilogy, Molecular Biology. के स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर वनस्पति एवं जंतु विज्ञान में अध्ययन आवश्यक होगी।

9. **मेधा–सूची की तैयारी एवं प्रकाशन** :– मेधा–सूची प्रकाशन के पश्चात नियमानुसार मेधा सूची पर आपत्ति के निराकरण के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर मेधा–सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।

अनुमोदित मेधा–सूची के आधार पर मूल प्रमाण–पत्रों के काउंसिलिंग के लिए नियत तिथि को बुलाया जायेगा और इच्छुक अभ्यर्थियों से नियोजन हेतु सहमति प्राप्त की जायेगी। **अभ्यर्थी की**

अनुपस्थिति की दशा में उनका नाम मेधा–सूची से हटा दिया जायेगा। पुनः अंतिम मेधा सूची को अनुमोदित की जायेगी। तत्पश्चात् अंतिम अनुमोदित मेधा–सूची को सार्वजनिक करते हुए एक–एक प्रति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. **नियोजन हेतु अभ्यर्थी को सूचना भेजने, कॉउसिंलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करना** :– अंतिम रूप से प्रकाशित मेधा–सूची के आधार पर नियमों के अन्तर्गत आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत करने (कॉउसिंलिंग) की सूचना निर्धारित समय तालिका के अनुसार पत्र भेजा जायेगा, जिसमें कॉउन्सलिंग की तिथि/स्थान का स्पष्ट उल्लेख होगा।

कॉउसिंलिंग की तिथि को अभ्यर्थी को विद्यालयों का नियमानुसार आवंटन कर नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सदस्य–सचिव निबंधित डाक से नियोजन पत्र भेजेंगे। अभ्यर्थियों को 30 दिनों के अन्दर योगदान करना अनिवार्य है।

11. **नियोजन सम्बन्धी शिकायतें एवं उसका निष्पादन** :– शिक्षक नियोजन से सम्बन्धित शिकायतों का निष्पादन जिला स्तर पर गठित अपीलीय प्राधिकार में होगी।

12. **प्रमाण पत्रों का सत्यापन** :– नियोजन के पश्चात नियोजन इकाईयों द्वारा सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा 3–6 माह के अन्दर करा लिया जायेगा। बिहार राज्य के बाहर के प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

13. **शिक्षक नियोजन का अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन** :– उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई का सतत् अनुश्रवण प्रत्येक स्तर से किया जायेगा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र में जिलावार नियोजन की सूचना विभाग को ससमय उपलब्ध कराई जायेगी।

ह०/–
(आर०बी० चौधरी)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :– 11/नि 2–13/91 (खण्ड) अंश–III 824 पटना, दिनांक : 29/5/2013

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम/सभी अध्यक्ष जिला परिषद्/नगर पंचायत/नगर परिषद्/सभी जिला पदाधिकारी/सभी नगर आयुक्त नगर निगम/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.5.13

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

पत्रांक : 11 / नि1–09 / 2008.....576/

<u>शिक्षा विभाग बिहार, पटना।</u>

प्रेषक,

कमल कुमार सिन्हा

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना, दिनांक 20 जुलाई, 2012

विषय : माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का पालन एवं बैकलॉग की गणना के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग : विभागीय अधिसूचना संख्या–1366, दिनांक 07–07–2012 एवं 1367, दिनांक 07–07–2012

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन अधिसूचना / पत्र के माध्यम से नियोजन के क्रम में प्रथम एवं द्वितीय नियोजन के आरक्षण के बैकलॉग को लेते हुए नियोजन का निदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा गत आयोजित कार्यशाला में आरक्षण बैकलॉग की गणना के संबंध में उठायी गयी बिन्दुओं पर सामान्य प्रशासन विभाग का अनौपचारिक परामर्श प्राप्त कर बैकलॉग एवं आरक्षण बिन्दु निर्धारण के संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जा रहे हैं:–

1. अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2012 (1324, दिनांक 03–07–2012 एवं 1325, दिनांक 03–07–2012) के नियम 5(i)(क) के आलोक में जिलावार आरक्षण रोस्टर किया जायेगा, अर्थात् प्रत्येक नियोजन इकाई में विषयवार आरक्षण बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।
2. बैकलॉग प्रक्रिया के तहत प्रथम एवं द्वितीय नियोजन के क्रम में अवशेष विषयवार रिक्ति जिस नियोजन इकाई की है, उसी नियोजन इकाई की वर्त्तमान विषयवार रिक्ति में पूर्व की विषयवार रिक्ति को जोड़ दी जायेगी।

विभागीय अधिसूचना संख्या–1366, दिनांक 07–07–2012 एवं 1367, दिनांक 07–07–2012 में उपर्युक्त संदर्भ में दिये गये निदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त किये जायेंगे।

विश्वासभाजन,

(कमल कुमार सिन्हा)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

<u>अनुलग्नक :– यथावर्णित।</u>

ज्ञापांक : 11 / नि1–09 / 2008 – 576 पटना, दिनांक 20 जुलाई, 2012

<u>प्रतिलिपि:</u> सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

पत्रांक : 11/नि1–09/2008 ...1592... /

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कमल कुमार सिन्हा,
निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ...... अगस्त 2012

विषय : माध्यामिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–1366, दिनांक 07–07–2012 एवं 1367, दिनांक 07–07–2012 द्वारा माध्यमिक शिक्षक के संबंध में दिये निदेश का स्मरण करना चाहेंगे। प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन तथा नियोजन में निःशक्त के लिए आरक्षण के संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:–

1. प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन :– विभागीय पत्रांक–06, दिनांक 02–01–2009 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु आवश्यक निदेश दिये गये हैं। उक्त पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पत्र के अनुलग्नक में अंकित विद्यालयों में नियोजन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

2. आवश्यकता से अधिक इकाई पर नियुक्ति :– वैसे विद्यालय जहाँ 60:1 के अनुपात में आवश्यक शिक्षक इकाई से अधिक रिक्ति उपलब्ध है या शिक्षक के नियोजन की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में ऐसे इकाई को जिला स्तर पर सुरक्षित रखते हुए निदेशालय को प्रतिवेदित किया जायेगा। ऐसे इकाई को Rationalisation के उपरान्त आगामी नियोजन में शिक्षकों का नियोजन किया जायेगा। जिन जिलों में शारीरिक शिक्षक का नियत/नियमित पद के विरूद्ध इकाई उपलब्ध हो, तो इसके विरूद्ध भी नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

3. माध्यमिक विद्यालयों में निःशक्त अभ्यर्थियों का नियोजन :– विभागीय पत्रांक–1366, दिनांक 07–07–2012 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों के संबंध में आवश्यक निदेश दिये गये हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–502, दिनांक 02–11–2000 (संलग्न) के आलोक में सूचित करना है कि जिस समव्यवहार में रोस्टर बिन्दू 17, 50 अथवा 84 हो, उस समव्यवहार में विकलांग का नियोजन किया जाय। विभागीय पत्रांक–1366, दिनांक 07–07–2012 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में दिये गये निदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में तत्संबंधी विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा रिक्त पदों के विरूद्ध बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के आलोक में कार्रवाई की जायेगी। विभागीय पत्रांक 1366 दिनाक 07.07.12 में अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के संबंध में दिये गये निदेश को विलोपित समझा जाय। अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन हेतु विस्तृत निदेश अलग से दिया जायेगा।

उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए संलग्न संशोधित समय–तालिका के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

कमल कुमार सिन्हा
निदेशक माध्यमिक शिक्षा

(II) The President may specify posts outside the ordinary line of service the holder of which may, notwithstanding the provisions of this rule and subject to such conditions as the President may prescribe, be given officiating promotion in the cadre of the service which the authority competent to order promotion may decide, and may there upon be granted the same pay whether with or without any special pay attached to such posts as they would have received if still in the ordinary line.

(III) For the purpose of this rule, the appointment shall not be deemed to involve the assumption of duties and responsibilities of greater importance, if the post to which it is made is on the same scale of pay as the post, other than a tenure post, which the Government servant holds on a regular basis at the time of his promotion or appointment or on a scale of pay identical therewith.

(IV) Notwithstanding anything contained in this rule, where a Government servant holding an ex cadre post is promoted or appointed regularly to a post in his cadre, his pay in the cadre post will be fixed only with reference to his presumptive pay in the cadre post which he would have held but for his holding any ex cadre post outside the ordinary line of service by virtue of which the becomes eligible for such promotion or appointment.

[बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पत्र संख्या–11/आ० नी०–03/2002 का० 509, दिनांक 2 नवम्बर, 2002 की प्रतिलिपि ।]

[प्रेषक, श्री निरंजन कुमार चौधरी, सरकार के उप सचिव । सेवा में, सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना ।]

विषय : सीधी नियुक्ति हेतु प्रचलित आदर्श रोस्टर में विकलांगों के लिए 3 (तीन) प्रतिशत आरक्षण संबंधी रोस्टर का समावेशन ।

राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/बोर्ड/निगम/निकायों/स्वशासी संस्थाओं में सेवाओं, संवर्ग एवं पदों पर सीधी नियुक्ति में विकलांगों के लिए 3 (तीन) प्रतिशत पद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–251, दिनांक 18-10-2000 के द्वारा आरक्षित किए गए हैं । नियुक्ति में विकलांगों के लिए इस आरक्षण को लागू करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कार्मिक विभाग के पत्र संख्या–458, दिनांक 30-9-2002 द्वारा निर्धारित 100 बिन्दुओं के आदर्श रोस्टर में रोस्टर बिन्दु–1 से 33, 34 से 67 एवं 68 से 100 तक तीन समूह मानें जायेंगे तथा प्रत्येक समूह में एक-एक विकलांग की नियुक्ति की जायेगी ।

2. संभव है प्रत्येक समूह में नियुक्ति हेतु एक से अधिक समव्यवहार में (ट्रेन्जेक्शन) कार्रवाई करनी पड़े । ऐसी स्थिति में जिस समव्यवहार में रोस्टर बिन्दु क्रमशः 17, 50 अथवा 84 हो उस समव्यवहार में एक-एक विकलांग की नियुक्ति की जायेगी । चयनित विकलांग जिस आरक्षण कोटि का है, उसी कोटि के विज्ञापित पद के विरुद्ध उसकी नियुक्ति की जायेगी । यदि चयनित विकलांग जिस आरक्षण कोटि का है, उस आरक्षण कोटि का पद विज्ञापित नहीं है, तो उसकी नियुक्ति [illegible] तथा नियुक्त विकलांग जिस आरक्षण कोटि का होगा, उस आरक्षण कोटि का अगला बिन्दु अनारक्षित माना जायेगा । अगर सिर्फ एक पद के लिए विज्ञापन किया जाता है, तो उसमें विकलांग के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा ।

[बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पत्र संख्या–11/प्र०2-वि०प्र०-13/2000 का० 274, दिनांक 24 अगस्त, 2000 की प्रतिलिपि ।]

[प्रेषक, श्री गुरु सहाय प्रसाद, सरकार के अपर सचिव । सेवा में, सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।]

विषय : बिहार आरक्षण अधिनियम-3, 1992 की धारा-12 के तहत किसी भी उपबंध का

पत्रांक–11/व1–26/06 (अंश) 1058

<u>मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।</u>

प्रेषक,

कमल कुमार सिन्हा,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना, दिनांक 17 जून, 2010

विषय : वित्तीय वर्ष 2006–07 में उत्क्रमित माध्यमिक में संकायवार अतिरिक्त 60 छात्र/छात्राओं के नामांकन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–729, दिनांक 23–06–2009 के द्वारा 2006–07 में नवउत्क्रमित 455 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय में 60 छात्र/छात्रा प्रति संकाय नामांकन की अनुमति प्रदान की गयी थी।

निदेशानुसार उक्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रति संकाय अतिरिक्त 60 छात्र / छात्राओं के नामांकन की अनुमति प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 के तहत विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों से +2 शिक्षा अलग कर स्कूली शिक्षा के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाना है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत उर्त्तीण माध्यमिक छात्र/छात्राओं की अधिकता एवं इंटर महाविद्यालयों में नामांकन के अत्यधिक दबाव के मद्देनजर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में आपको निदेशित किया जाता है कि निम्न आधार पर नवउत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को चिन्हित करते हुए 2010–12 से +2 स्तरीय पठन–पाठन सुनिश्चित करते हुए 15 जुलाई तक वर्ग 11 में नामांकन सुनिश्चित किया जाय। सामान्यतः विज्ञान एवं कला संकाय सभी चिन्हित विद्यालयों में प्रारम्भ की जायेगी। जिला/अनुमण्डल मुख्यालय के चिन्हित विद्यालयों में वाणिज्य संकाय का पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। संबंधित संकाय में प्रारम्भ में मात्र 60 छात्र/छात्रा का नामांकन वर्त्तमान सत्र में सुनिश्चित करेंगे। +2 स्तरीय पठन–पाठन हेतु आवश्यक न्यूनतम आधारभूत संरचना संबंधी मापदण्ड पूर्ण करने वाले विद्यालयों को छात्र वृद्धि हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना एवं शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति में आगामी सत्र से अतिरिक्त 60 छात्र/छात्रा का नामांकन की अनुमति दी जायेगी। ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक प्रभाग) को उपलब्धता कराते हुए निदेशालय को अगस्त के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।

1. नवउत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय को विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय (तीनों संकाय) के संचालन की स्थिति में न्यूनतम कमरों की संख्या 6–7 एवं विज्ञान संकाय होने की स्थिति में भौतिक, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान हेतु प्रयोगशाला सुव्यवस्थित होने चाहिए

2. नवउत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त संख्या में निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर माध्यमिक शिक्षक होने चाहिए।

3. स्नातकोत्तर माध्यमिक शिक्षक के अभाव में विकास कोष में पर्याप्त राशि होनी चाहिए, ताकि प्रतिदिन 150/- रू० की दर से स्नातकोत्तर शिक्षक एवं बेरोजगार युवकों से पठन-पाठन का कार्य सुनिश्चित की जा सके।

सभी विद्यालय प्रबंध समिति को यह निदेशित किया जाय कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा संचालन हेतु निर्धारित परिमाप में न्यूनतम 4 कमरा एवं भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान हेतु प्रयोगशाला का निर्माण सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(कमल कुमार सिन्हा)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक 11/व1-26/06 (अंश) ....1058 पटना, दिनांक 17 जून, 2010

<u>प्रतिलिपि</u> : सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 17/6/10

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

बिहार का +2 स्तरीय (कक्षा-XII) का संशोधित पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2006 के आलोक में बिहार का यह नवीन संशोधित पाठ्यक्रम (2007) भी 'शिक्षा' के बारे में एक विशिष्ट दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अनुसार, "शिक्षा का मतलब बिहार के स्कूली शिक्षार्थियों को इतना सक्षम बना देना है कि वे अपने जीवन का, जिन्दा होने का सही-सही अर्थ समझ सकें, अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सकें, अपने जीवन का मकसद तय कर सकें और उसे प्राप्त करने हेतु यथासंभव सार्थक एवं प्रभावी प्रयास कर सकें और साथ ही इस बात को भी समझ सकें कि समाज के दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।"

बिहार के इंटर के पुराने पाठ्यक्रम, एन०सी०ई०आर०टी० एवं सी०बी०एस०ई० के वर्त्तमान पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नांकित विषयों की पढ़ाई +2 स्तरीय शैक्षिक संस्थानों में करने का निर्णय मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार द्वारा लिया गया है–

i. भाषा समूह–

1. हिन्दी	2. उर्दू	3. अंग्रेजी
4. संस्कृत	5. बांग्ला	6. मैथिली
7. मगही	8. अरबी	9. फारसी
10. भोजपुरी	11. पालि	12. प्राकृत

उक्त भाषाओं में से प्रत्येक विद्यार्थी को 11वीं एवं 12वीं कक्षा में **अनिवार्यतः दो भाषाएँ** पढ़नी होंगी। यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो उक्त भाषा समूह में से कोई तीसरी भाषा भी ले सकता है। लेकिन यह तीसरी भाषा उसके ऐच्छिक विषय की सूची में रहेगी। भाषा समूह के अंतर्गत विषयों के पाठ्यक्रम सभी पढ़नेवाले विद्यार्थियों के लिए एक जैसे होंगे। ज्ञातव्य है कि पूर्व में राज्य में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य के लिए अलग-अलग पढ़ाई होती थी, अतः भाषाओं के पाठ्यक्रम भी अलग-अलग होते थे। इस व्यवस्था को नये सत्र (जुलाई 2007) से समाप्त किया जा चुका है।

ii. वैकल्पिक विषय समूह–

1. गणित	2. भौतिक विज्ञान	3. रसायन शास्त्र
4. जीव विज्ञान	5. कम्प्यूटर साइंस	6. इतिहास
7. राजनीति शास्त्र	8. भूगोल	9. अर्थशास्त्र
10. समाजशास्त्र	11. मनोविज्ञान	12. दर्शनशास्त्र
13. गृह विज्ञान	14. संगीत	15. बिजनेस स्टडीज
16. एकाउन्टेंसी	17. इंटरप्रेनरशिप	18. मल्टीमीडिया एवं वेब टेक्नोलॉजी
19. योग एवं शारीरिक शिक्षा		

उक्त विषयों में से शिक्षार्थी को अनिवार्यतः **तीन विषयों** का अध्ययन करना होगा।

इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी चाहें तो उक्त दोनों विषय (भाषा एवं वैकल्पिक) समूह में से **किसी एक विषय को ऐच्छिक विषय** के रूप में पढ़ सकते हैं। अच्छा होगा कि ऐच्छिक विषय के रूप में शिक्षार्थी किसी एक कार्य आधारित व व्यावसायिक विषय का अध्ययन करें।

पाठ्यपुस्तकें : नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य में पहली बार 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए विषयवार पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण किया गया है। ये पाठ्यपुस्तकें बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध कराई जा रही हैं। भाषाओं के अतिरिक्त सभी वैकल्पिक विषयों की पाठ्यपुस्तकें वही होंगी जिनका प्रकाशन एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली एवं बी.टी.बी.सी., बिहार द्वारा 11-12वीं कक्षा के लिए किया गया है।

12वीं की बोर्ड परीक्षा : वर्ष 2009 में होनेवाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अलग से सूचनायें प्रेषित करेगा।

– राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना।

पत्रांक : 11/नि2–13/91(खण्ड) अंश III..971 /
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषकः

अजीत कुमार,
उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ...8... जून, 2013

विषय : उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का पालन एवं बैकलॉग की गणना एवं नियोजन के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक – 824, दिनांक 29.05.2013 एवं 862 दिनांक 04.06.13

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र संख्या 824 दिनांक 29.05.13 द्वारा निदेशित आरक्षण समाशोधन के क्रम में संशोधनोपरान्त विभागीय पत्रांक 862 दिनांक 04.06.13 द्वारा आवश्यक दिशा–निदेश दिये गये हैं।

विभागीय पत्रांक 824 दिनांक 29.05.13 द्वारा आरक्षण समाशोधन के संबंध में दिये गये निदेश इस हद संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,
8/6/13
(अजीत कुमार)
उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक : 11/नि2–13/91(खण्ड) अंश III...971./ पटना, दिनांक ..8.... जून, 2013
प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/13
उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

विभागीय पत्रांक–824, दिनांक 29.05.13 द्वारा प्रेषित पत्र एवं समय–समय पर दिये गये निदेश के आलोक में राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया है।

एतद् द्वारा निम्न समय–तालिका के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के संबंध में निम्नांकित निदेश संबंधित नियोजन इकाईयों को दिया जाता है :–

समय–तालिका

(i)	सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन।	10–06–2013
(ii)	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि।	11–06–2013 से 10–07–2013 तक

एतद् द्वारा वैसे सभी हितबद्ध बिहार राज्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्दिष्ट तिथि **11 जून, 2013 से 10 जुलाई, 2013 तक** संबंधित **नियोजन इकाई द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में सदस्य सचिव** को निम्न प्रपत्र में अंक–पत्रों एवं अन्य सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ निबंधित डाक या सीधे संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के कार्यालय में भेजना/हस्तगत करना सुनिश्चित करेंगे।

नियोजन इकाई द्वारा सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। नियोजन से संबंधित नियमावली, विस्तृत निदेश एवं प्रपत्र आदि विभागीय वेब–साईट www.educationbihar.gov.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

नोट :–

1. विभागीय ज्ञापांक 862 दिनांक 04.06.13 द्वारा प्रेषित आवेदन प्रपत्र की कंडिका 6 में अंकित उम्र **1ली अगस्त 2013** के स्थान **1ली अगस्त 2012** पढ़ा जाय। शेष यथावत् रहेगा।
2. माननीय उच्च न्यायालय में नीरज कुमार बनाम् राज्य सरकार में दायर रिट याचिका CWJC No. 2616/12 में प्रतिशपथ पत्र में दिये गये वचनबद्धता के आलोक में [illegible] उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यता के अन्तर्गत प्रशिक्षण की अहर्त्ता में छूट संबंधी अनुमति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, दिल्ली से प्राप्ति के उपरान्त ही अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का मेधा–सूची का प्रकाशन के शर्त्त के आलोक में अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

(आर०बी० चौधरी)
निदेशक (मा० शिक्षा)